


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2018/ दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई- /म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2018/ 131 दिनांक 24.01.2018 में याचिकाकर्ता को पै-बैंड 5200-20200 में ग्रेड पे 2800- / के स्थान पर राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के नियम 16 के शिड्यूल IV के L-8 तथा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ14(1)/एमडी(रूल्स)/2013-Pt दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 11820/- के स्थान पर एफ15(1)/एफडी (रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) 18500/- पढ़ा जावें।

शेष आदेश यथावत रहेगा।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सीधी भर्ती-2013)/2018/147 दिनांक:- 24/01/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, (जन स्वा./प.क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित केस अधिवक्ता प्रभारी एवं समन्वयक।
10. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
11. संबंधित याचिकाकर्ता।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर